LGD Notification No. - LGD/MP/G50/20240513113107

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

एल.जी.डी की अधिसूचना

LGD Notification

Change Coverage of Localbody

Published By		**Proposed By**	
Name	Veerendra Kumar Tripathi	Name	Veerendra Kumar Tripathi
Designation	DY Director	Designation	DY Director
Mobile no.	9425921500	Mobile no.	9425921500
IP Address	103.160.49.41	IP Address	103.160.49.41
On date	13/05/2024	On date	09/05/2024

State Name	Madhya Pradesh
Localbody Code	358
Localbody Name	Chhindwara
Localbody Type Name	District Panchayat
Localbody Effective Date	05/10/2023

OLD LANDREGION COVERAGE LIST

Landregion Code	Landregion Name	Landregion Type	Coverage Type
399	Chhindwara	District	PART

NEW CONTRIBUTED LOCALBODY LIST

Localbody Code	Localbody Name	Coverage Type

NEW LANDREGION COVERAGE LIST

Landregion Code	Landregion Name	Landregion Type	Coverage Type
785	Pandhurna	District	FULL
399	Chhindwara	District	PART

EST-260776/2023 | 06.10.2023

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 309] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 5 अक्टूबर 2023—आश्विन 13, शक 1945

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2023

क्र. एफ. Rev.-6-0030-2023-Sec-7-सात.— मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नवीन जिला मैहर (मुख्यालय मैहर) का गठन करती है जिसमें वर्तमान तहसील मैहर के समस्त 122 पटवारी हल्के, तहसील अमरपाटन के समस्त 53 पटवारी हल्के एवं तहसील रामनगर के समस्त 59 पटवारी हल्के, इस प्रकार कुल 234 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे. प्रस्तावित जिला मैहर के गठन पश्चात् शेष सतना जिले में तहसील रघुराजनगर के समस्त 71 प. ह., तहसील कोठी के समस्त 33 प. ह., तहसील मझगवां के समस्त 55 प. ह., तहसील नागौद के समस्त 94 प. ह., तहसील उचेहरा के समस्त 71 प. ह., तहसील रामपुर बाघेलान के समस्त 97 प. ह., तहसील बिरसिंहपुर के समस्त 48 प. ह. एवं तहसील कोटर के समस्त 27 प. ह., इस प्रकार कुल 496 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2023

क्र. एफ. Rev.-6-0030-2023-Sec-7-सात.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. Rev.-6-0030-2023-Sec-7-सात, दिनांक 5 अक्टूबर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 308]   भोपाल, गुरुवार, दिनांक 5 अक्टूबर 2023—आश्विन 13, शक 1945

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2023

क्र. F. Rev.-6-0029-2023-Sec-7-सात.— मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नवीन जिला पांढुर्णा (मुख्यालय पांढुर्णा) का गठन करती है जिसमें पांढुर्णा तहसील के समस्त 74 हल्के तथा सौंसर तहसील के समस्त 63 हल्के इस प्रकार कुल 137 हल्के समाविष्ट होंगे. पांढुर्णा जिले के गठन उपरांत छिंदवाड़ा जिले में शेष 12 तहसीलें क्रमशः अमरवाड़ा, उमरेठ, चांद, चौरई, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ानगर, जुन्नारदेव, तामिया, परासिया, बिछुआ, मोहखेड़, हर्रई के समस्त हल्के / कुल हल्के 686 शेष रहेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2023

क्र. F. Rev.-6-0029-2023-Sec-7-सात.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. F. Rev.-6-0029-2023-Sec-7-सात, दिनांक 5 अक्टूबर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव.

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 251]　　भोपाल, रविवार, दिनांक 13 अगस्त 2023—श्रावण 22, शक 1945

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2023

क्र. F-Rev–6–0006–2023–सात–शा–7.– मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से रीवा जिले की 03 तहसीलें मऊगंज, हनुमना एवं नईगढ़ी को समाविष्ट कर नवीन जिला मऊगंज का गठन करती है जिसका मुख्यालय मऊगंज होगा। जिला मऊगंज के गठन उपरांत शेष रीवा जिले में 09 तहसीलें हुजूर, हुजूरनगर, जवा, त्योंथर, रायपुर कर्चुलियान, गुढ़, सिरमौर, सेमरिया तथा मनगवां शेष रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2023

क्र. F-Rev–6–0006–2023–सात–शा–7.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक F-Rev–6–0006–2023–सात–शा–7, दिनांक 13 अगस्त, 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव.

Signed by Veerendra Kumar
Tripathi
Date: 13-05-2024 11:31:07